INDIA TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

निग/3153/I/15

प्रकरण क्रमांक आर.   /पी.बी.आर/2015

रवि शंकर मुदगल पुत्र स्व. श्री भगवती प्रसाद मुदगल आयु–65 वर्ष जाति बाह्मण निवासी– वार्ड न. 12 गोहदी गेट गोहद जिला **भिण्ड** म0प्र0

...........**प्रार्थी**/अनावेदक

बनाम

1. सजंय मुदगल आयु–51 वर्ष
2. अजय शंकर मुदगल आयु–**48 वर्ष** पुत्रगण स्व. श्री हरी शंकर मुदगल जाति बाह्मण निवासी- गोहद हाल निवासी**गण** –दुर्गा नाका कॉलोनी पिछौर रोड़, चन्देरी जिला अशोक नगर म0प्र0 ....**प्रतिप्रार्थीगण/आवेदकगण**

दिनांक 18.9.15 को श्री आर0 एस0 सेंगर अधि0 द्वारा प्रस्तुत/

18.9.15

<u>प्रथम निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सहिंता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.08.2015 जो प्रकरण क्रमांक 26/2014–15/अ.–27 में माननीय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वृत गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0) द्वारा पारित किया गया।</u>

प्रार्थी/अनावेदक की ओर से निगरानी याचिका निम्न **प्रकार** प्रस्तुत है–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1. यहकि, प्रतिप्रार्थीगण/आवेदकगण द्वारा माननीय **अधिनस्थ** विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र **अतर्गत** धारा 178 म0प्र0भू0रा0सहिंता के तहत प्रस्तुत कर मौजा गोहदी तहसील गोहद जिला भिण्ड की भूमि सर्वे क्रमांक 559 रकवा 0.63, **567** रकवा 1.49 है0 कुलकिता 2 कुल रकवा 2.12 है0 को संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि में समान हिस्सेदारी व्यक्त कर विधिवत **वटवारा** वंटाकन कराये जाने हेतु, कराये जाने की प्रार्थना की गई।
2. यहकि, प्रार्थी/अनावेदक द्वारा माननीय अधिनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 24.08.2015 को इस **आशय** का प्रस्तुत ... कि ... के पिता के जीवन **काल** में ही इसी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3153-एक/15 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/10/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर एवं **अनावेदक** की ओर से अधिवक्ता श्री राधामोहन तिवारी उपस्थित। **आवेदक की** ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध **प्रस्तुत की** गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 **को हुए संशोधन** के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की **धारा 50** सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार **द्वारा पारित** आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: **यह** प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष **प्रकरण में** सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला भिण्ड **के समक्ष** उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	